Order Sheet (Subsequent)

CNR NUMBER ....

Number of Case .... Year ....

.... Versus ....

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of ... of the ...
03/01/24	पत्रावली पेश। आदेश लिखवाया नहीं जा सका, अतः पुनः बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 10/01/24 को पेश हो। Priinka	
10/01/24	पत्रावली पेश। पत्रावली का अवलोकन नहीं किया जा सका। पत्रावली दिनांक 15/01/24 को पेश हो। Priinka	
15/01/24	पत्रावली पेश। पत्रावली का अवलोकन किया गया। कल्याण सिंह S/o भूर सिंह वादी द्वारा दावा अंतर्गत धारा 53, 188 राज. काश्तकारी अधि. पेश कर यह अनुतोष चाहा गया कि "ख. सं. 481 रकबा 12 बीघा में वादी को 6 बीघा भूमि का खातेदार मानते हुए मीट्स एवं बाउण्ड्स से विभाजन करते हुए नक्शे में तरमीम की जावे। वादी के हिस्से की भूमि में प्रतिवादीगण न तो स्वयं ना ही किसी अन्य के मार्फत दखलअंदाजी करें।" वाद के साथ वादी द्वारा P26 पेश किया गया, जिसके अनुसार वादग्रस्त भूमि में कल्याण सिंह S/o भूरसिंह, इपली बेवा शकूर, सत्तार, गफार, सलाम S/o शकूर सहखातेदार हैं। (साथ ही पटवारी हल्का द्वारा नोट अंकित है कि ख. सं. 481 का नक्शा जीर्ण-शीर्ण है)। वादी द्वारा एक अन्य जमाबंदी पेश की गई, जिसके अनुसार वादी ख. नं. 469 का खातेदार है (वाद की पद सं. 06 के अनुसार ख. सं. 481 के पास ही वादी की अन्य भूमि ख. सं. 469 स्थित है, जिस पर मौखिक बंटवारे अनुसार वादी माठो-माठ काश्त करता आ रहा है।) वादी द्वारा न्यायालय उपखंड अधिकारी, जोधपुर का निर्णय दिनांक 28/04/94 की प्रति पेश की गई, जिसके	

FORM No. 123

(Order 24 Rule 7, Order 32 Rule 3)

Order Sheet

CNR NUMBER ....

of .... at ....

Kind of the Case ....

Number of Case .... Year ....

.... Versus ....

Order with initials of Presiding Officer	Brief note of co... of the Or...
अनुसार तेजसिंह S/o भूरसिंह बनाम चावण्ड सिंह S/o भूरसिंह दावे में वादी कल्याण सिंह को ख. सं. 481 के 6 बीघा, बरानी I का खातेदार घोषित किया गया है। आदेशिका दिनांक 01/10/18 के अनुसार प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। चूंकि एकपक्षीय कार्यवाही की गई, अतः तनकी नहीं बनाई गई। वादी कल्याण सिंह द्वारा साक्ष्य शपथ-पत्र पेश किया गया, जिसके अनुसार उपखंड अधिकारी, जोधपुर ने ख. सं. 481 की 6 बीघा भूमि का खातेदार मुझ वादी को घोषित किया। विवादित भूमि वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त सहखातेदारी में है, जिसका वादी मीट्स एंड बाउंड्स से विभाजन करवाना चाहता है।" मुताबिक साक्ष्य शपथ-पत्र भगाराम S/o अणदाराम - " मैं विवादित भूमि के पश्चिम में पड़ोसी हूं। विवादित भूमि में वादी की 6 बीघा भूमि है, जिसमें कल्याण सिंह उ. दिशा के हिस्से की तरफ काश्त करता आ रहा है।" वादी द्वारा साक्ष्य के तौर पर फॉर्म 03 में दस्तावेज प्रस्तुत किये गये, जो निम्नानुसार है- "1. P35: mutation प्रति क्र. 383 - ख. सं. 481, रकबा 12 बीघा, श्रीमान SDO सा. जोधपुर के राजस्व वाद 151/98 के निर्णय दिनांक 18/03/2000 की अनुपालना में कल्याण सिंह S/o भूरसिंह, हवली बेवा शकूर, सत्तार, गफार, सलाम S/o शकूर	

Order Sheet (Subsequent)

CNR NUMBER

Number of Case .... Year ....

.... Versus ....

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief notes of
	2. जमाबंदी (not certified) ख. सं. 481, 12 बीघा ना. सं. 563 के अनुसार चावंडसिंह के स्थान पर कल्याण सिंह S/o भूरसिंह, शेष खातेदार बदस्तूर। 3. P26 certified copy - ख. सं. 481, 12 बीघा कल्याण सिंह S/o भूरसिंह, इपली बेवा शकूर, सतार, गफार, सलाम S/o. शकूर। 4. uncertified copy of decision by SDO, Jodhpur." आदेशिका दिनांक 24/01/20 की पालना में प्राथमिक डिक्री जारी कर, तहसीलदार (जोधपुर) को बंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार करने हेतु आदेशित किया गया। मुताबिक प्रा-डि.- " वादी को ख. सं. 481 रकबा 6 बीघा का खातेदार मानते हुए मीट्स एंड बाउण्ड्स के तहत विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार (जोधपुर) को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर पालना रिपोर्ट ली जावे।" प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार (भू. अ. जोधपुर) द्वारा दिनांक 18/01/21 को पटवारी रिपोर्ट न्यायालय में अग्रेषित की गई। मुताबिक रिपोर्ट - " वादी को उत्तर दिशा में (481) एवं प्रतिवादी को दक्षिण दिशा में (481/1) दर्शाया गया है। उक्त रिपोर्ट पर वादी एवं पटवारी प. ह. बिरामी के हस्ताक्षर हैं।" उक्त रिपोर्ट अनुसार विवादित भूमि के निम्नानुसार mutation हो चुके हैं - " M.No. 1138 - इपली फौत के स्थान पर सतार, गफार S/o शकूर, सईदा, छोटी कलसूम S/o शकूर, जूली W/o सलाम, रफीक गोरी, बाबूचाँद गोरी, इमरान गोरी S/o सलाम, परवीन बानो, रुकसाना S/o सलाम शेष खाता बदस्तूर। M.No. 1156 - हकतर्कनामा स्वीकृत होने से सतार खां, गफार खां S/o शकूर खां, सईदा	

Order Sheet (Subsequent)

CNR NUMBER ....

Number of Case .... Year ....

.... Versus ....

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
	छोटी कलसूम D/o.. . , इमरान गोरी, परवीन बानो, ककसाना D/o सलाम द्वारा अपना हिस्सा जूली W/o सलाम खाँ का नाम दर्ज। शेष खाता बदस्तूर)" मुताबिक आदेशिका दिनांक 16/02/21 -" खातेदार जूली W/o सलाम खां का नाम वाद लंबित रहते हुए दर्ज हुआ है, अतः खातेदार को सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु नोटिस जारी हो।" अधि० A.R. Prajapat द्वारा जूली व बाबूचंद गोरी की ओर से वकालतनामा पेश किया गया। जूली व बाबूचाँद गोरी द्वारा जरिए अधि० प्रा० पत्र वास्ते विस्तृत पटवारी रिपोर्ट मंगवाने हेतु पेश किया गया। उक्त प्रा० पत्र न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया एवं नजरी नक्शे में आस-पड़ौस व रास्ते का अंकन करते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु आदेशित किया गया। उक्त की पालना में तहसीलदार (भू० अ०) जोधपुर द्वारा पटवारी रिपोर्ट दिनांक 07/09/21 को न्यायालय में अग्रेषित की गई। मुताबिक पटवारी रिपोर्ट- " ख० सं० 481 में प्रतिवादीगण पश्चिम दिशा एवं वादी पूर्व दिशा में काबिज है (मौका अनुसार), जबकि वादी ख० स० 481 में उत्तर दिशा में बंट लेना चाहता है। साथ ही नजरी नक्शा में ख० सं० 481/1 ^(ख० सं० 481 के) द० पू० दिशा में दर्शाया गया है।" पुनः आदेशिका दिनांक 10/02/22 के अनुसार पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतु तहसीलदार (जोधपुर) को आदेशित किया गया, क्योंकि दिनांक 07/09/21 को प्राप्त पटवारी रिपोर्ट में रास्ते का अंकन नहीं था। उक्त आदेश की पालना में दिनांक 26/11/22 को तहसीलदार (जोधपुर) द्वारा भू० अ० नि० कार्यालय व पटवारी बिरानी की रिपोर्ट	

Order Sheet (Subsequent)

CNR NUMBER

Number of Case .... Year ....

.... Versus ....

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief notes
	न्यायालय में अग्रेषित की गई। उक्त रिपोर्ट पर प्रतिवादीगण, पटवारी बिरामी, भू. अ. नि. काकेलाव के हस्ताक्षर हैं। उक्त रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत नजरी- नक्शा में रव. सं- 481 के पश्चिम दिशा में प्रतिवादीगण एवं पूर्व दिशा में वादीगण को दर्शाया गया है। उक्त रिपोर्ट के साथ संलग्न P26(बी) अनुसार (certified copy)-" M. No. 1138- विरासत इपली व सलाम फौत होने से सतार, गफार S/o शकूर, सईदा, छोटी कलसूम S/o शकूर, जूली W/o सलाम, रफीक गोरी, बाबूचांद गोरी, इमरान गोरी S/o सलाम, परवीन बानो, रुकसाना S/o सलाम नाम दर्ज। शेष बदस्तूर। M.No. 1156 - इकतर्कनामा स्वीकृत होने से सतार, गफार, सईदा, छोटी कलसूम, रफीक गोरी, इमरान गोरी, परवीन बानो, रुकसाना द्वारा अपना हि. जूली W/o सलाम के नाम दर्ज। शेष खाता बदस्तूर।"	
	मुताबिक आदेशिका दिनांक 22/06/22 "मौका रिपोर्ट दिनांक 26/11/22 पर वादी अधि. द्वारा आपत्ति की गई कि बंटवाड़ा प्रस्ताव टिनेन्सी rules 18 to 21 के अनुसार नहीं है। उपजाऊ भूमि प्रतिवादी को एवं अनउपजाऊ भूमि वादी को दी गई है। इस प्रस्ताव से वादी का खसरा एक चक नहीं हो पायेगा। न्यायालय द्वारा पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतु तहसीलदार (जोधपुर) को आदेशित किया गया।" उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार, कुड़ी भगतासनी द्वारा विभाजन प्रस्ताव दिनांक 10/04/23 को न्यायालय में अग्रेषित किया गया। मुताबिक रिपोर्ट-" वादी को उत्तर दिशा में, प्रतिवादीगण को दक्षिण दिशा में दर्शाया गया है। साथ ही उत्तर दिशा में वादी के हिस्से तक रव. सं. 481	

Order Sheet (Subsequent)

CNR NUMBER ....

Number of Case .... Year ....

.... Versus ....

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of ... of the ...
	की उत्तरी मांड से बिंदु A से B का 2 गट्ठा चौड़ाई का रास्ता भी प्रतिवादीगण हेतु दर्शाया गया है।" उक्त रिपोर्ट पर तहसीलदार (कुड़ी भगतासनी), पटवारी बिरानी, वादी के हस्ताक्षर हैं। उक्त प्रस्ताव कल्याण सिंह, जूली, रफीक गौरी की उपस्थिति में भूमि की गुणवत्ता के आधार पर बनाया गया है एवं उपस्थित मौतबिरानों को पढ़कर सुनाया गया है।	
	उक्त आदेश पर रफीक गौरी द्वारा आपत्ति पेश की गई कि विभाजन मौका स्थिति अनुसार नहीं है। उक्त प्रा. पत्र पर दिनांक 23/06/23 को बहस सुनी गई (बहस आदेशिका पर उल्लेखित)। उक्त प्रा. पत्र पर अंतिम आदेश आदेशिका में नहीं पाया गया। मुताबिक बहस, उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर प्रा. पत्र का निस्तारण निम्नानुसार किया जाता है-" प्रा. पत्र दिनांक 20/04/23 को प्रार्थी रफीक गौरी द्वारा पेश किया गया। (जरिए अधि.) पत्रावली अवलोकन पर यह पाया गया कि प्रार्थी रफीक गौरी की ओर से पूर्व में कोई वकालतनामा पेश नहीं है और दिनांक 01/10/18 को सभी प्रतिवादीगण, प्रति. सं. 3/2 सहित, के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है। प्रतिवादी / प्रार्थी द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही अपास्त करने हेतु कोई प्रा. पत्र पेश नहीं किया गया है। ~~साथ~~ साथ ही दिनांक 26/11/22 को प्रस्तुत तहसीलदार (जोधपुर) की रिपोर्ट में संलग्न P 26 (बी) (certified) अनुसार रफीक गौरी द्वारा विवादित भूमि में से अपना हिस्सा, जूली w/o सलाम को हकतर्क कर दिया गया है, अतः रफीक गौरी विवादित भूमि का खातेदार नहीं है। उपरोक्त के आधार पर आपत्ति प्रा. पत्र खारिज किया जाता है।	

Order Sheet (Subsequent)

CNR NUMBER

Number of Case .... Year ....

.... Versus ....

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brie
	दिनांक 07/07/23 को प्रतिवादी जूली w/o सलाम की ओर से जरिए अधि. प्रा. पत्र वास्ते आदेश दिनांक 28/04/99 की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करने बाबत पेश किया गया। उक्त के संबंध में मूल सत्यापित प्रति (आदेश दिनांक 28/04/99) वादी द्वारा न्यायालय में पेश की गई, जिसे रिकॉर्ड पर लेते हुए प्रा. पत्र का निस्तारण किया गया। उक्त सत्यापित प्रतिलिपि के साथ संलग्न नजरी नक्शे के अनुसार ख. सं. 481 के उत्तर दिशा में वादी कल्याणसिंह का ½ हिस्सा दर्शाया गया है एवं खसरा सं. 481/1 को ख. सं. 481 के पूर्व दिशा में दर्शाया गया है।	
	दावे में दिनांक 15/12/23, दिनांक 03/01/24, को अंतिम बहस सुनी गई। अधि. उभयपक्ष वक्त बहस उपस्थित। मुताबिक बहस अधि. वादी -" ख. सं. 481 वादी एवं प्रतिवादीगण की सहखातेदारी में है। पूर्व में दिनांक 28/04/99 को हुए फैसले में भाइयों के सहखातेदारी का विभाजन हुआ था, किंतु ख. सं. 481 के वादी के ½ हिस्से का बंटवारा होकर तरमीम नहीं हुआ था। वादी उक्त भूमि में मीट्स एंड बाउंड्स से विभाजन करवाने का अधिकारी है।	
	मुताबिक बहस अधि. प्रति. - " विवादित भूमि का पूर्व में बंटवारा हो चुका है। मौके पर प्रतिवादीगण खसरे के पश्चिमी हिस्से पर काबिज हैं। वाद में तीन बार प्राथमिक डिक्री पालना मंगवाई गई है, दूसरी पालना रिपोर्ट में प्रतिवादीगण को नहीं सुना गया। अतः वाद खारिज योग्य है।"	

FORM No. 123

(Order 24 Rule 7, Order 32 Rule 3)

Order Sheet

CNR NUMBER ....

of .... at ....

Kind of the Case ....

Number of Case .... Year ....

.... Versus ....

Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
उपरोक्त तथ्यों, बहस, शपथ-पत्र, दस्तावेज आदि के आधार पर निम्नानुसार अंतिम डिक्री पारित की जाती है- " मुताबिक सत्यापित प्रतिलिपि आदेश दिनांक 28/04/99, विभाजन तेजसिंह S/o भूरसिंह, कल्याणसिंह S/o भूरसिंह, धावंडसिंह S/o भूरसिंह के मध्य हुआ है। उक्त वाद में जूली W/o सलाम, बाबूचाँद S/o सलाम पक्षकार नहीं है। इससे यह स्पष्ट है कि सहखातेदारों के मध्य विभाजन ख. सं. 481 नहीं हुआ, वरन कल्याणसिंह को ख. सं. 481 के 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया गया। दिनांक 18/03/21 को प्राथमिक डिक्री की पालना में प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव पर केवल पटवारी बिरामी के हस्ताक्षर है, यह राज. टिनेन्सी (राजस्व मंडल) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 के अनुरूप नहीं है, अतः अस्वीकार्य है। दिनांक 01/04/21 को जूली W/o सलाम, बाबूचाँद गोरी S/o सलाम की ओर से वकालतनामा पेश। चूंकि बाबूचाँद गोरी वक्त वाद प्रस्तुति से पक्षकार था एवं दिनांक 01/10/18 को प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जा चुकी थी, अतः बिना एकपक्षीय कार्यवाही अपास्त किए प्रति. सं. 3/3 की ओर से वकालतनामा अथवा आपत्ति अस्वीकार्य है। दिनांक 07/09/21 को तहसीलदार (जोधपुर) से प्राप्त प्राथमिक डिक्री पालना रिपोर्ट को न्यायालय द्वारा आदेश अनुरूप ना होने पर अस्वीकृत किया जा चुका है। दिनांक 26/11/22 को तहसीलदार (जोधपुर) द्वारा प्रेषित प्राथमिक डिक्री पालना रिपोर्ट पर	

Order Sheet (Subsequent)

CNR NUMBER

Number of Case .... Year ....

.... Versus ....

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief no... of
	न्यायालय द्वारा पुनः रिपोर्ट के आदेश किये गये। दिनांक 10/04/23 को तहसीलदार (कुड़ी भगतासनी) द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक डिक्री पालना रिपोर्ट को स्वीकार किया जाता है। नियम 20(ग) के अनुसार जहाँ तक संभव हो, एक पक्षकार को सारी हल्की या सारी उत्तम कोटि की भूमि नहीं दी जावेगी। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए तहसीलदार (कुड़ी भगतासनी) रिपोर्ट दिनांक 10/04/23 के अनुसार अंतिम डिक्री पारित हो। वादी के हिस्से की भूमि में प्रतिवादीगण ना तो स्वयं ना ही किसी अन्य के मार्फत दखल अंदाजी करे, इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है। वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार (कुड़ी भगतासनी) को वास्ते आदेश पालना तहरीर जारी हो। यदि विवादित भूमि पर किसी न्यायालय द्वारा स्थगन प्रभावी है तो आदेश पालना के समय स्थगन की भी पालना सुनिश्चित हो। आदेश खुले में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। Priyanka	